[illegible] हेतु पुनः नोटिस पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी नोटिस रखी जाकर तेरीख पेशी दिनांक 13.6.19 को पेश हो। पूर्व स्थगन आदेश की अवधि नियत दिनांक तक बढ़ाई जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू

27.5.19

यह पत्रावली अभिभाषक अपीलांट श्री विरेन्द्र सिंह खंगारोत के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बहस में बताया कि उक्त उनवानी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद का अंतिम निस्तारण हो चुका है। इसलिए अपीलांट यह अपील आगे नहीं चलाना चाहते है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र का अंतिम निस्तारण हो चुका हैं चुंकि यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है। जो सारहीन हो चुकी है इसलिए खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर